भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4799

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत व्यय

4799. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रमुख नदियाँ औद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषित हो रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समस्या के समाधान के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान क्या कार्रवाई की गई;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नमामि गंगे/एनएमसीजी) के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में नदी जल प्रदूषण, विशेष रूप से प्रमुख प्रदूषकों, नदी के महत्वपूर्ण हिस्सों की वर्तमान स्थिति क्या है और औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण जैसे हाल में हुये विकास आदि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): देश की नदियाँ मुख्यतः शहरों/कस्बों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित मलजल और औद्योगिक बहिस्त्रावों के उनके संबंधित कैचमेंट क्षेत्रों में छोड़ने के कारण प्रदूषित होती हैं। प्रदूषण के नॉन-पाइंट स्रोत जैसे कृषि रनऑफ, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट डंप स्थलों से रनऑफ आदि भी नदियों के प्रदूषण में शामिल हैं। तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण से समस्याएं अधिक बढ़ गई हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित 'जल गुणवत्ता बहाली हेतु प्रदूषित नदी खंडों' पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 603 नदियों की निगरानी की गई और 279 नदियों के 311 खंड प्रदूषित पाए गए। इसका विवरण

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY= पर उपलब्ध है:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक बहिस्त्राव उत्पन्न करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को नदियों और जल निकायों में बहिस्त्राव करने से पहले निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है। सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ (पीसीसी) उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की निगरानी करती हैं और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) समय-समय पर प्रदूषित नदी खंडों से संबंधित आदेश जारी करता है। मूल आवेदन संख्या 673/2018 में, एनजीटी ने निर्देश दिया था कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2018 में देश में चिन्हित प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार हेतु कार्य योजनाएँ तैयार करें। निर्देशानुसार, उक्त कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र स्तर पर की जाती है।

इन आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी कार्य योजनाएँ तैयार कर ली हैं और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की निगरानी के लिए, भारत सरकार के सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) का गठन किया गया है। अब तक, सीएमसी की 20 बैठकें हो चुकी हैं।

सीपीसीबी के अनुसार, सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) में कुल 4,538 उद्योग आते हैं। इनमें से 3672 उद्योग चालू थे और 866 उद्योग स्वतः बंद हो गए। चालू उद्योगों में से 3064 उद्योगों द्वारा पर्यावरण मानकों का अनुपालन किया गया, जबकि 571 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस और अनुपालन न करने वाले 36 उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, 01 उद्योग पर जुर्माना भी लगाया गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी/संवितरित धनराशि का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	एनएमसीजी द्वारा जारी/संवितरित धनराशि
2020-21	1,339.97
2021-22	1,892.70
2022-23	2,258.98
2023-24	2,396.10
2024-25	2,589.11

*****